महत्वपूर्ण एवं खास

राज्य को सीआरआईएफ योजना के लिए मिली 892.36 करोड़ की स्वीकृति

रायपुर (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है. बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों 8 राज्य सडक़ खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष का विषय है कि 8 राज्य सडक़ खंडों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. इन सडक़ों के निर्माण से प्रदेश में विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी. साथ ही लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी एवं जनसुविधाओं का विस्तार होगा. सीएम साय ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया है।

बहन को ससुराल छोडऩे जा रही युवती की सड़क हादसे में मौत

भिलाई (आरएनएस)। अपनी बहन को रायपुर स्थित ससुराल छोडऩे जा रही राजनांदगांव की एक युवती की सडक़ हादसे में मौत हो गई। घटना भिलाई के नेहरूनगर स्थित नेशनल हाइवे की है। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव के भैसातरा निवासी चांदनी वर्मा अपनी बहन को उसके घर रायपुर के सरोना छोडऩे के लिए अपनी स्कूटी में जा रही थी। इसी दौरान नेहरूनगर स्थित नेशनल हाइवे में एक ट्रक की चपेट में उसकी स्कूटी आ गई। स्कूटी सवार चला रही चांदनी की बहन इस दुर्घटना में किसी तरह बच गई पर पीछे बैठी चांदनी ट्रक के पीछे चक्के में आ गई और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भिजवा दिया तथा इसकी सूचना युवती के परिजनों को दी।

ऑनलाइन पैसा कमाने का झांसा देकर हजारों की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। ऑनलाइन काम करके पैसा कमाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी त्रिलोकचंद पात्रे 31 वर्ष वीरकुंवर सिंह कालोनी हीरापुर का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात मोबाइल धारक 92335-39436 से कॉल कर प्रार्थी से कहा कि ऑनलाइन पैसा कमाने का झांसा देकर टेलीग्राम ग्रुप में जोडक़र 10500 रुपए लगाने का झांसा दिया और रोज 2 से 4 हजार रुपए कमाने का लालच दिया। जिससे प्रार्थी ने आरोपी के बताए खाते में जोडक़र लोगों से पैसा लेकर ठगी किया। जिसके बाद आरोपी ने ग्रुप को बंद कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। टाटीबंध ओव्हरब्रीज के नीचे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं युवती घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में आमानाका पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक शशांक वर्मा 34 वर्ष अंबागढ़ चौकी मानपुर का रहने वाला था। बताया जाता है कि मृतक शशांक अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 पीएस 3736 में अपनी महिला दोस्त लक्ष्मी यादव को बिठाकर कहीं जा रहा था, तभी टाटीबंध ओव्हरब्रीज के नीचे ट्रक क्रमांक सीजी 18 के 2132 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार शशांक की मौत हो गई। वहीं लक्ष्मी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

प्रवर्तकता और मिशन वात्सल्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किया जाएगा चिन्हांकन

चिकित्सा, शिक्षा और पोषण के लिए प्रतिमाह 4 हजार रुपये की वित्तीय सहायता

रायपुर । आरएनएस

एकीकृत बाल संरक्षण योजना, मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिकित्सकीय, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धन राशि प्रदान किया जाना है, जिससे बच्चे के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बालक का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली हुई जानकारी के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 का एक प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि किसी बच्चे को अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जावे। परिवार तथा पारिवारिक वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। अत: बच्चों के पुनर्वास और समाज में एकीकरण के लिए परिवार एवं समुदाय आधारित विकल्प में प्रवर्तकता (स्पॉसरशिप) का प्रावधान रखा गया है। जिसके तहत प्रवर्तकता हेतु पात्र बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 हजार रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रवर्तकता की निवारक और पुनर्वास 02 श्रेणियां है। निवारक श्रेणी में जैविक परिवार में निवासरत बालकों को परिवार में बने रहने, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे बेघर, बालश्रम, बाल विवाह, पलायन इत्यादि के लिए मजबूर न हो। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे परिवारों या बच्चों का चिन्हांकन सामाजिक कार्यकर्ता, आऊटरीच वर्कर, स्वयं सेवकों, वार्ड समिति या ग्राम पंचायत की मदद से किया जाता है। पुनर्वास श्रेणी अंतर्गत ऐसे बच्चों को 4 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो परिवार के आर्थिक अभाव के कारण मिशन वात्सल्य के तहत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर परिवार में पुनर्वासित किया जाता है। निवारक प्रवर्तकता के तहत समुदाय में निवासरत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते है। एकल माता-पिता के बच्चे, विशेषकर विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त माता के बच्चे। माता-पिता द्वारा परित्यक्त बच्चे, जो विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते है। ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता जेल मे हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अक्षम या बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के अनुसार देखरेख और संरक्षण के आवश्यकता वाले बच्चे जैसे बेघर, प्राकृतिक आपदा के शिकार, बालश्रम, बाल विवाह के शिकार, अवैध मानव परिवहन किये गये बच्चे, एचआईवी, एड्स प्रभावित बच्चे, नि:शक्त बच्चे, गुमशुदा या भागे हुए बच्चे, बाल भिक्षुक या सडक़ पर रहने वाले बच्चे, प्रताडि़त या शोषण किये गये बच्चे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के हितग्राही बच्चे इन सभी श्रेणी के बच्चे 4 हजार रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र है। प्रवर्तकता के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72 हजार रूपये प्रतिवर्ष और अन्य क्षेत्रों के लिए 96 हजार रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक मिल सकती है। प्रवर्तकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा किया जाता है। प्रवर्तकता हेतु पात्र बच्चों का चिन्हांकन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाता है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाईन (1098), जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारी, क्षेत्रीय बाल संरक्षण समितियों अथवा किसी प्रबुद्ध नागरिक द्वारा भी बालकों का चिन्हांकन किया जा सकता है। प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति एवं प्रवर्तकत्ता एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति गठित है।

वन विभाग का 6 लाख 67 रूपए गबन करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

धमतरी । आरएनएस

वन विभाग का 6 लाख 67 रूपये गबन करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि गत वर्ष 31.03.23 को उप वन मंडलाधिकारी ने लिखित शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26.05.2011 को हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी एवं वन मंडलाधिकारी धमतरी के मध्य धमतरी वन मंडल अंतर्गत उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र कें पशु धन प्रबंधन योजना के क्रियान्यन के अन्तगत बैटल कैंप की स्थापना हेतु एमओयू (अनुबंध) हुआ था कि जिसमें अनुबंध की कुल राशि 66.67 लाख रूपये का था। जिसमें कार्य प्रारम्भ हेतु मनोज सोनी को पत्राचार भी किया गया

था और एमओयू (अनुबंध) के अनुसार परियोजना की कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि रूपये 6 लाख 67 हजार का चेक वन मंडल अधिकारी धमतरी के युनियन बैंक के खाता में चेक से अग्रिम राशि दिया गया था। मनोज सोनी के व्दारा उक्त राशि को अपने बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर ब्रांच के खाता से आहरित कर प्राप्त होने उपरांत भी किसी प्रकार कार्य प्रारंभ नही किया गया और ना ही वनमंडलाधिकारी को सूचना दिया गया। हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति को अग्रिम राशि को वापस करने वनमंडलाधिकारी धमतरी व्दारा कार्यालय से कई बार पत्राचार कर प्राप्त अग्रिम राशि को वापस करने के लिए बोले जाने के बावजुद भी आरोपी व्दारा प्राप्त अग्रिम राशि को वनमंडल धमतरी के खाते में जमा नही करने एवं महालेखागार (छग)रायपुर व्दारा आडिट आपत्ति किये जाने पर उक्त शासकीय राशि का लेखा समायोजन नही हो पाया। आरोपी शासकीय राशि कुल 6 लाख 67 हजार रूपये को प्राप्त कर बिना कोई कार्य किये शासकीय राशि का स्वयं उपभोग कर गबन करते हुये शासकीय वन विभाग के साथ विश्वास भंग करते हुये बड़ी राशि का छलपूर्वक धोखाधड़ी कर आर्थिक हानि पहुंचाने का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली में धारा 420,406,409 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी और वनमंडलाधिकारी धमतरी के मध्य हुये पत्राचार एवं बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी तथा प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजो को जप्त कर प्रार्थी एवं गवाहो का कथन लिया जाकर आरोपी मनोज सोनी पिता देवी प्रसाद सोनी उम्र 54 वर्ष साकिन मकान नं 511 सडक़ नंबर 04 स्मृति नगर थाना के पास भिलाई जिला दुर्ग (छग) एवं अध्यक्ष हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति टीम लीडर द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर सोमवार को उनके घर से धमतरी पुलिस टीम द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिला कोषालय का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने सोमवार की शाम को जिला कोषालय कार्यालय सारंगढ़ का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सितम्बर माह के अंत के बाद की स्थिति में कोषालय के सिंगल लॉक रजिस्टर, डबल लॉक रजिस्टर कोर्ट व रेवेन्यू टिकट, न्यायिक व गैर न्यायिक स्टांप, कोर्ट से जप्त प्रॉपर्टी आदि का अवलोकन किया। अवलोकन में जानकारी सही पाई गई। जांच के दौरान एसडीएम प्रखर चंद्राकर, प्रभारी कोषालय अधिकारी हरिराम पटेल, डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू, तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी, सहायक ग्रेड 1 सुरेश साहू आदि उपस्थित थे।

चिराग परियोजना परियोजना के तहत पोषण सखी के रूप में चयनित महिलाओं को हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम

दंतेवाड़ा । आरएनएस

प्रदेश में कृषि विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 जिलों के 27 विकासखण्डों में निवासरत ग्रामीण आदिवासी परिवारों के आय में वृद्धि एवं वर्षभर पोषित आहार की उपलब्धता हेतु वल्र्ड बैंक एवं आई.एफ.ए.डी. के सहयोग से ''चिराग परियोजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत चिन्हांकित ग्रामों में पोषण आधारित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ''पोषण सखी'' के रूप में कार्य करने के लिये संबंधित ग्रामों से महिलाओं का चयन किया गया है। इस क्रम में आज इन चयनित महिलाओं को ''पोषण सखी'' के रूप में कार्य करने के लिये तकनीकी सहयोगी संस्था पी.सी.आई. के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उप संचालक कृषि विभाग कार्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण के दौरान चयनित महिलाओं को चिराग परियोजना का उददेष्य की जानकारी देते हुए कुपोषण, संतुलित आहार, कृषि एवं पोषण में परस्पर संबंध के द्वारा दैनिक भोजन में आहार विविधता,तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन में जागरूकता, के लिए मास्टर टेऊनर भीषम लाल देशमुख, पीसीआई ज्योति वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर उप-संचालक कृषि, सूरज पंसारी, चिराग राज्य कार्यालय से जगजीत मिंज एवं दीपक कुमार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी परीक्षित मंडावी एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भर्ती हेतु दावा आपत्ति 9 अक्टूबर तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कायार्लय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा की स्थापना में अंतर्गत साामान्य स्थापना, कोर्ट मैनेजर अमला एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों हेतु आवदेन पत्र आमंत्रित किया गया था।

सामान्य स्थापना के अंतर्गत स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के 1 पद, स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के 12 पद एवं कोर्ट मैनेजर अमला हेतु शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) संविदा के 1 पद की भर्ती हेतु अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी किया गया है। जिसका अवलोकन अभ्यर्थी जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट https://janjgir.dcourts.gov.in पर कर सकते है। उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र की श्रेणी में है, अपनी पात्रता के संबंध में वैध दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति सहित स्वंय उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से 09-10-2024 के कार्यालयीन समय 05 बजे तक अपना दावा, आपत्ति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है किसी अन्य माध्यम से एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्ति आवेदन मान्य नहीं होगा। बिना वैध दस्तावेज के अथवा नियत तिथी के पश्चात् प्राप्त दावा, आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उन्हे अनर्ह माना जाएगा।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में दस्तावेजों की जांच 10 अक्टूबर तक

कृषि विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम विभाग को प्राप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में उल्लेखित सरल क्रमांक (कम्बाईन्ड रैंकिंग) के आधार पर उत्तीर्ण आवेदकों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 30.09.2024 से 10.10.2024 तक प्रातः 10:30 बजे से कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती), इं.गां.कृ.वि. परिसर, लभाण्डी, रायपुर में की जा रही है। यह सूचना कृषि विभाग की वेबसाईट httpss://agriportal.cg.nic.in/ ,agridept/AgriHi/ पर उपलब्ध है।निर्धारित तिथि एवं समय तथा स्थान पर अभ्यर्थी स्वयं विज्ञापन में दर्शित अर्हताओं के एवं वांछित दस्तावेजों के आधार पर मूल प्रमाण पत्रों तथा उक्त प्रमाणपत्रों की 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

राज्य शासन द्वारा विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने, प्रोत्साहित करने और मान्यता देकर उनकी विशेष पहयान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय "बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान" वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सम्मान के लिये दो व्यक्तियों का चयन किया जायेगा, जिन्हे पुरस्कार स्वरूप राशि रूपये 1-1 लाख (एक-एक लाख रूपये) प्रति व्यक्ति नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति पत्र के साथ दी जायेगी। इस सम्मान हेतु विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट और महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों से अंतिम तिथि 08.10.2024 तक विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया है। इस सम्मान हेतु सभी आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 08.10.2024 तक प्रमुख सचिव, छग शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०) पिन कोड नम्बर 492002 को प्राप्त हो जाना चाहिए। अतः आवेदक, सीधे प्रमुख सचिव के उक्त पते पर व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। डाक से भेजे गये पत्र के विलंब से प्राप्त होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

पत्र में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, विधि के क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिये किये गये उत्कृष्ट कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी, यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण, विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धान्तिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित), विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य, बयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति, आवेदक द्वारा, प्रस्तुत जानकारी तथा दस्तावेज (पत्र, प्रमाण पत्र, कतरन, प्रतिवेदन स आदि) के सही और वास्तविक होने की घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस सम्मान हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों के संबंध में निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय लिया जायेगा, निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। निर्णायक मंडल के सदस्य एवं उसके परिवार के व्यक्ति उरा वर्ष के सम्मान के लिये आवेदन करने के लिये अनर्हित होगें, जिस वर्ष के लिये वे निर्णायक मंडल के सदस्य नियुक्त किये गये है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत तानाखार एवं मोरगा के स्कूल में हुई चित्रकला प्रतियोगिता

कोरबा । आरएनएस

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कटघोरा वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र केंदई के नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़-चढकर हिस्सा लिया।

इस अवसर पर वन वरिक्षेत्राधिकारी अभिषेक दुबे, प्राचार्य वरूण कुमार नायक, एडवर्ड टोप्पो, वनपाल संतोष यादव, रंजीत कंवर, वन रक्षक पंकज खैरवार, विनोद राज, राजकुमार बंजारे, पवन बिंझवार, सुरेंद्र कंवर, अशाोक श्रीवास एवं समस्त वन परिक्षेत्र केंदई के स्टाफ उपस्थित रहे। इसी तरह वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह अंतर्गत वन परिक्षेत्र एतमानगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तानाखार में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हायर सेकेंडरी के बच्चों द्वारा ड्राइंग शीट पर आकर्षक चित्रकारी उकेरा गया एवं वन्य प्राणियों के विषय में व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रेंजर देवदत्त खांडे, विद्यालयीन कर्मचारियों के साथ वन परिक्षेत्र के समस्त कर्मचारी एवं ग्राम के सरपंच व अन्य नागरिक उपस्थित रहे। इस बीचवन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग 2-8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे ''सह अस्तित्व से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह'' थीम पर आधारित वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने का कार्यक्रम आज वन विभाग द्वारा ट्रिपल आईटी रायपुर के सभागार में आयोजित हुआ।

वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर वन्य जीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की रागिनी धुरव को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। रागिनी धुरव अचानक मार्ग टायगर रिजर्व वन क्षेत्र के गांव शिवतराई की रहने वाली हैं। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु और भौगोलिक स्थिति अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर है। हमारा राज्य बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित है। यहां के वन क्षेत्र वन्य जीवों के रहवास के लिए बेहद उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि प्राचीनकाल से ही हमारे वनवासियों भाईयों का वन्य जीवों से मित्रवत व्यवहार रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में इसमें बदलाव आया है, जिसके चलते यदा-कदा द्वन्द की स्थिति देखने और सुनने को मिलती है। उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन क्षेत्रों को संरक्षित और संवर्धित करने का आव्हान किया।